कार्यालय
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी
समेकित जल संग्रहण प्रबन्धन परियोजना
परती भूमि विकास विभाग
एल्डिको कॉरपोरेट टॉवर, पॉवर हाउस क्रोसिंग
विभुति खण्ड़ गोमती नगर लखनऊ

पत्रांक– 268 / एस.एल.डी.सी./मनरेगा– कन्वर्जेन्स /2015–16 दिनॉक 22 अप्रैल 2015

1. समस्त उपनिदेशक
2. समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी
   सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0

विषयः– मनरेगा कन्वर्जेन्स (वनीकरण) हेतु समेकित जल संग्रहण प्रबन्धन परियोजना में मॉडल प्रोजेक्ट का चयन एवं विकास के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 265/एस.एल.डी.सी./ मनरेगा– कन्वर्जेन्स /2015–16 दिनॉक 22 अप्रैल 2015 का सन्दर्भ ले जिसके कम में निम्न निर्देश निर्गत किये जाते है।

1. वनीकरण हेतु चयनित स्थल में प्रजातिवार रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या का विवरण भी दिया जायेगा।
2. परियोजना क्षेत्र में यदि प्राइवेट व्यक्ति की भूमि का चयन किया गया है तो रोपित किये गये पौधों की सुरक्षा के प्रबन्ध का प्रथम दायित्व सम्बन्धित व्यक्ति का होगा।
3. वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र की बाऊन्ड्री कटीले पौधों से तैयार की जायेगी इस कार्य को आई0डब्ल्यू0एम0पी0 फण्ड से कराया जायेगा। मात्राकृत धनराशि में अनुमन्य नियमो के अनुसार अवशेष फण्ड का उपयोग अतिरिक्त सुरक्षा के लिए खाई/कटीले तार के कार्य में किया जा सकता है।
4. मनरेगा में निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार रोपित किये गये पौधों का तीन वर्ष तक रख–रखाव (मेन्टीनेन्स) में व्यय किये जाने का प्रविधान है। इस लिये तैयार की जाने वाली कार्य योजना में तीन वर्ष के रख–रखाव व्यय को भी प्रस्तावित किया जाये।
5. यदि चालू परियोजना मे वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यों को आई.डब्ल्यू.एम.पी. फण्ड से कराए जाने का प्रविधान किया भी गया है तो भी वनीकरण/वृक्षारोपण के कार्यो को आई.डब्ल्यू.एम.पी. फण्ड से न करा कर मनरेगा फण्ड से ही कराया जाये तथा उसका स्पष्ट चिन्हीकरण किया जाये। इस प्रकार वृक्षारोपण मद में प्रस्तावित फण्ड से अवशेष आई.डब्ल्यू.एम.पी. राशि का उपयोग कमांक 3 में वर्णित कार्यों मे किया जा सकता है।

इस सम्बन्ध मे यह भी निर्देशित किया जाता है कि चयनित मॉडल प्रोजेक्ट के विकास हेतु मनरेगा– कन्वर्जेन्स से सृजित किये जाने वाली परिसम्पतियों हेतु जो एक्सन प्लान तैयार किया जाये उसका अनुमोदन मनरेगा एवं आई.डब्ल्यू.एम.पी. में निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जाये।

अनुमोदित एक्सन प्लान 5 मई 2015 तक स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें ।

(आञ्जनेय कुमार सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पत्रांक– 268 / एस.एल.डी.सी./मनरेगा– कन्वर्जेन्स /2015–16 तद्दिनॉक

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित

1. अध्यक्ष एवं प्रशासक शारदा सहायक समादेश क्षेत्रीय विकास एवं जल प्रबन्धन परियोजना लखनऊ
2. अध्यक्ष एवं प्रशासक राम गंगा कमाण्ड परियोजना पाण्डुनगर कानपुर ।
3. अपर आयुक्त, मनरेगा ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ
4. सचिव परती भूमि विकास विभाग उ0 प्र0 शासन लखनऊ
5. समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0 (गाजियाबाद, शामली एवं गौतमबुद्धनगर का छोड़ कर।

(आञ्जनेय कुमार सिंह)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी